

प्रेषक,

मुशीर अहमद अब्बासी,  
प्रभारी प्रमुख सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा0 उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)

लखनऊ- दिनांक 13 जुलाई, 2017

विषय- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विशेष कार्याधिकारी (फिजियोथेरेपिस्ट) का 01 निःसंवर्गीय पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निबन्धक ( न्याय एवं चयन एवं अधिष्ठान ) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या- 2189/अधि0, दिनांक 13-06-2017 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय में मा0 न्यायमूर्तिगणों को कार्यावधि के दौरान Backache, Cervical-spondylitis, Joint Pains and other ailments हेतु चिकित्सा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 11/2017/147/पांच-1-16-4(12)/2016, दिनांक 24-04-2017 द्वारा सृजित फिजियोथेरेपिस्ट के 01 पद वेतनमान रू0 35400-112400 लेवल-6 को चिकित्सा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 147/पांच-1-2017-4(12)/2016, दिनांक 12-07-2017 द्वारा आस्थगित रखते हुये बैचलर डिग्री (फिजियोथेरेपी) शैक्षिक अर्हता एवं 03 वर्ष का अनुभव रखने वाले विशेष कार्याधिकारी (फिजियोथेरेपिस्ट) वेतनमान रू0 47600-151100 पे मैट्रिक्स-8 का 01 निःसंवर्गीय पद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा पद के भरे जाने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28-02-2018 तक के लिए यदि उक्त पद बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- किसी भी दशा में निःसंवर्गीय पद को स्थायी न किया जाये और न ही उस पर कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी को स्थायी किया जाये क्योंकि निःसंवर्गीय पदों का सृजन केवल कार्य विशेष के लिये किया जाता है और कार्य विशेष समाप्त होने के उपरान्त उक्त पद स्वतः समाप्त हो जायेगा।

2- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निःसंवर्गीय पद को चालू रखने के लिये पद की आवश्यकता का औचित्य पाये जाने पर उसकी निरन्तरता सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के फरवरी माह के

अन्तिम दिन तक के लिये सीमित रहेगी, के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति से मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से मा० मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2- उक्त पदधारक को समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत वेतन, मंहगाई तथा अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हो, देय होंगे।

3- उक्त पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अधीन लेखाशीर्षक-"2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय (भारित) के अर्न्तगत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या- ई-12-716/दस/2017, दिनांक 28 जून, 2017 में प्राप्त उनकी सहमत से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह०/- मुशीर अहमद अब्बासी,  
प्रभारी प्रमुख सचिव।

संख्या-54/2017/सा०-848(1)/सात-न्याय-1-17-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा हकदारी एवं आडिट-11) उ०/प्र० इलाहाबाद।
- 2- वरिष्ठ निबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
- 3- निबन्धक (न्याय/चयन/अधि०), मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 4- कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
- 5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
- 7- न्याय अनुभाग-9/बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/विधि परामर्शी पुस्तकालय।
- 8- चिकित्सा अनुभाग-1
- 9- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

ह०/- विपिन कुमार,  
विशेष सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>